तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मोहनीदेवी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 85/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मोहनीदेवी पत्नी गुलाबचन्द ब्राह्मण निवासी ग्राम निम्बली बेरा सामराउ तहसील औसियां, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.03.2019 में उसके द्वारा (1) पंजीयन की धारा 41 की पालना किस प्रकार से करवाई जा रही है। इस धारा की पालना आदेश के रजिस्टर की नकल व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 359 दिनांक 30.05.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलकर्त्ता मोहनीदेवी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार इस कार्यालय का पत्रांक रीडर/सू.अ.अ./2019/204 दिनांक 18.04.19 के द्वारा प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा प्रेषित कर दी गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना की प्रति भी रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई है अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थीया को सुचना प्रेषित किये जाने से अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है तथा अपीलार्थी को आदेश प्रति के साथ लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना की प्रति भी प्रेषित हो। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	